भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3947

22 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

इंजीनियरिंग निर्यातक

3947. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंजीनियरिंग निर्यातक, इस्पात का उपयोग कच्चे माल के रूप में निर्यात के लिए उत्पादों का निर्माण करने हेतु करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या घरेलू इस्पात की ऊंची कीमतों के परिणामस्वरूप भारत के डाउनस्ट्रीम इंजीनियरिंग निर्यात में प्रतिस्पर्धा नहीं हो पा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू इस्पात निर्माता इंजीनियरिंग निर्यातकों से भारी लाभ लेते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इंजीनियरिंग निर्यातकों को सस्ती दरों पर इस्पात उपलब्ध कराने की आवश्यकता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इंजीनियरिंग निर्यातकों को सस्ती दरों पर इस्पात उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) और (ख): इंजीनियरिंग निर्यातक निर्यात उद्देश्य के लिए उत्पादों के विनिर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में कई इस्पात उत्पादों का उपयोग करते हैं। इनमें एचआर क्वॉइल, सीआर क्वॉइल गेल्वेनाइज्ड क्वॉइल, प्लेट्स (फ्लैट रोल्ड उत्पाद) और वायर रॉड्स, बार्स, स्ट्रक्चरल (लंबे उत्पाद) शामिल हैं। अप्रैल, 21 और नवंबर, 21 के महीनों में इंजीनियरिंग उत्पादों में प्रयुक्त प्रमुख इस्पात वस्तुओं की औसत कीमतों और प्रतिशत भिन्नता का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

जेपीसी औसत बाजार मूल्य (खुदरा) (जीएसटी हटाकर) (कीमत प्रति टन रुपये में)		
मद	**अप्रैल'21**	**नवंबर'21**
वायर रॉड 8 एमएम	50057	55388
राउंड्स 12 एमएम	49665	55540
टीएमटी 10 एमएम	51919	57314
प्लेट्स 10 एमएम	60530	69852
एचआर क्वॉइल 2.00 एमएम	62500	71623
सीआर क्वॉइल 0.63 एमएम	72900	78860
जीपी शीट्स 0.63 एमएम	75674	85237
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)		

(ग) और (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है जहां कीमतें चक्रीय प्रवृत्ति की हैं और मांग एवं आपूर्ति, वैश्विक बाजार की स्थितियों, कच्चे माल की कीमत में रुझान, लॉजिस्टिक लागत, बिजली और ईधन की लागत आदि से निर्धारित होती हैं। सरकार ने लौह अयस्क और इस्पात की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए और उन्हे सभी प्रयोक्ता श्रेणी को उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं जिनमें शामिल है:

(i) लौह अयस्क के उत्पादन/उपलब्धता को बढ़ाने हेतु खनन और खनिज नीति में सुधार, राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा ओडिशा के समप्रहृत (फोरफिटेड) कार्यशील खानों का शीघ्र प्रचालन और इस्पात उत्पादकों के द्वारा उत्पादन और क्षमता उपयोग में तेजी लाना।

(ii) केन्द्रीय बजट 2021-22 में, नॉन-अलॉय, अलॉय और स्टेनलेस स्टील के सेमिज, फ्लैट और लॉन्ग उत्पादों में सीमा शुल्क को समान रूप से 7.5% तक की कमी। इसके अतिरिक्त, धातु पुनर्चक्रणकर्ताओं मुख्य रूप से एमएसएमई को राहत प्रदान करने हेतु इस्पात स्क्रैप पर 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए बीसीडी में छूट दी गई है। साथ ही, कुछ इस्पात उत्पादों पर एडीडी और सीवीडी को भी हटा दिया गया है/ अस्थायी रूप से हटा दिया गया है।

(iii) डीजीएफटी के आदेश के जरिए निर्यात समतुल्य मूल्य पर प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा ईईपीसी के एमएसएमई सदस्यों को चार उत्पाद श्रेणियों (हॉट रोल्ड क्वॉइल, कोल्ड रोल्ड क्वॉइल, वायर रॉड्स और अलॉय स्टील बार्स) के तहत इस्पात की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना। इस आदेश में प्रावधान है कि ऐसी बिक्री को मानित निर्यात माना जाएगा और इस्पात उत्पादक अपने द्वारा आपूर्ति किए गए इस्पात पर शुल्क वापसी का लाभ उठा सकते हैं।

*****